

काम : (i) चकबन्दी से खेतों का आकार बढ़ा है। (ii) कृषि का यंत्रीकरण सम्भव हुआ है (iii) कृषि उपज में काफी सहायता मिली है।

6. भूदान आन्दोलन (Bhoodan Movement)—भूदान आन्दोलन समाज सुधारक विनोबा भावे द्वारा 1951 में प्रारम्भ किया गया। यह स्वतन्त्र भारत के भूमि सुधारों में एक महान् घटना था।

भूदान आन्दोलन द्वारा भूमि के दान के लिए लोगों से अपील की जाती है। इस प्रकार जो भूमि प्राप्त होती है, वह भूमिहीन किसानों में बाँट दी जाती है।

**उद्देश्य (Objectives) :**

- (i) इससे भूमिहीन किसानों और भू-स्वामियों में अन्तर कम होगा।
- (ii) इस आन्दोलन में भूमि-दान के साथ-साथ ग्रामदान, श्रमदान और जीवनदान आदि कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।
- (iii) इस आन्दोलन से भूमिहीन किसानों को कुछ भूमि मिल सकेगी।
- (iv) इस आन्दोलन में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें लोगों से अपील की जाती है। यह एक रक्तहीन प्रक्रिया है।

जमी तक इस आन्दोलन ने विशेष प्रगति नहीं की।

**3.8. भूमि-सुधार कार्यक्रम का मूल्यांकन (An Evaluation of Land Reforms)**

भारत में भूमि-सुधार कार्यक्रम बड़े जोश के साथ आरम्भ किया गया था परन्तु इस दिशा में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इसका कारण यह था कि भूमि सुधार की प्रगति धीमी रही।

**3.8.1. भूमि-सुधार की धीमी प्रगति के कारण (Causes of the Slow Progress of Land Reforms)**

भारत में भूमि-सुधारों की धीमी प्रगति के कारण निम्नलिखित हैं :-

- 1. राजनैतिक इच्छा का अभाव (Lack of Political Will)—सर्वोच्चतम में भी कुछ बड़े-बड़े भू-स्वामी शक्तिशाली हैं। ये भूमि-सुधार नियमों को प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं होने देते।
- 2. विभिन्न भूमि सुधार कानून (Different Land Reform Laws)—भारत में अलग-अलग राज्यों में भूमि-सुधार कानून भिन्न-भिन्न हैं। ये कानून बहुत जटिल हैं। इन सुधारों को राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लागू करना कठिन है।
- 3. बड़े जमींदारों का प्रभाव (Influence of Big Landlords)—ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े जमींदारों का किसानों पर अत्यधिक प्रभाव होता है। परिणामस्वरूप वे भूमि-सुधार नियमों का उल्लंघन करने में सफल हो जाते हैं।
- 4. संगठन का अभाव (Lack of Organisation)—भारत में खेतियार मजदूरों तथा काश्तकारों में संगठन का अभाव है। इसीलिए वे भूमि-सुधार लागू करवाने में असमर्थ हैं।

**भूमि-सुधार के दोष**  
या  
**भूमि-सुधार की धीमी प्रगति के कारण**

1. राजनैतिक इच्छा का अभाव
2. विभिन्न भूमि-सुधार कानून
3. बड़े जमींदारों का प्रभाव
4. संगठन का अभाव
5. वित्तीय साधनों का अभाव
6. रिकार्ड का अभाव
7. निरक्षरता

शिष्य - रवि शंकर राय, शिक्षक - अर्चना

दिनांक - 03-07-2020 , पृष्ठ - B.A-II

5. वित्तीय साधना का अभाव (Lack of Finances)— रकम का पास था। भूमि-सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय साधनों का अभाव रहा है।

6. भूमि रिकार्ड का अभाव (Absence of Land Records)— जब तक भूमि के स्वामी का ठीक-ठीक पता नहीं लगता, तब तक कोई कार्रवाई करना असम्भव है। रिकार्ड के अभाव में भूमि-सुधार कानूनों को लागू करने में बाधा पहुँचती है।

7. निरक्षरता (Illiteracy)— भारत का साक्षरता दर कम है। भूमि-सुधार का लाभ सभलों-भाँति परिचित नहीं है। वे सरकार को पूरा सहयोग नहीं दे पाते।

प्रो० दाँतेवाला (Dantwala) के शब्दों में, "भेरी समझ में भारतीय भूमि-सुधारों के विषयों में सफल उल्लेखनीय बात यह है कि इन्हें लागू ही नहीं किया गया है।"

◆ 3.8.2. भूमि सुधारों के दोषों को दूर करने के उपाय या भूमि-सुधार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुझाव (Measures to Remove the Defects of Land Reforms Or Suggestions for Making Land Reforms Successful)

1. वित्तीय सहायता (Financial Help)— नई भूमि पर बसाए गए कारखानों को कम ब्याज दर पर पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

2. कुशल प्रशासन (Efficient Administration)— कुशल प्रशासन होना चाहिए ताकि भूमि सुधार नियमों को लागू किया जा सके।

3. भूमि के नवीन रिकार्ड (New Record of Land)— भूमि सम्बन्धी नवीनतम रिकार्ड शीघ्र तैयार किए जाने चाहिए।

4. भूमि सुधार अदालतों की स्थापना (Establishment of Land Reforms Tribunals)— भूमि सम्बन्धी झगड़ों को निपटाने के लिए अधिक-से-अधिक भूमि-सुधार अदालतें (Land Reforms Tribunals) स्थापित की जानी चाहिए। यहाँ किसानों को उचित शुल्क पर कानूनी सहायता मिलनी चाहिए।

भूमि-सुधार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुझाव

1. वित्तीय सहायता
2. कुशल प्रशासन
3. भूमि के नवीन रिकार्ड
4. भूमि सुधार अदालतों की स्थापना
5. दोष दूर करना
6. उचित ढंग से लागू करना

5. दोष दूर करना (To Remove Defects)— भूमि-सुधार के दोषों को दूर करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो संविधान में भी संशोधन कर देना चाहिए।

6. प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना (Effective Implementation)— सरकार के भूमि-सुधार कार्यक्रम को लागू करने के लिए ईमानदारी और कुशलता की आवश्यकता है। वास्तव में इन्हें उचित ढंग से लागू करना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion) : यदि समूचे राष्ट्र में भूमि-सुधार लाने के लिए प्रबल इच्छा तथा दृढ़ निश्चय हो, तो इसके रास्ते में आने वाली बाधाएँ सुबह के शबनम के कतरे की भाँति स्वयं ही पिघल जाएँगी।

◆ 3.12.3. हरित क्रान्ति के लाभ या अच्छे प्रभाव (या पक्ष) (Benefits or Good Effects of Green Revolution)

हरित क्रान्ति के लाभ या अच्छे प्रभाव निम्नलिखित हैं :-

1. कृषि का विकास (Development of Agriculture)—हरित क्रान्ति के कारण कृषि का पर्याप्त विकास हुआ। इसके फलस्वरूप कृषि-उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। इस कारण किसानों में कुछ स्थिरता का अनुभव हुआ।
2. औद्योगिक विकास (Industrial Development)—हरित क्रान्ति के कारण ही बड़े उद्योगों जैसे ट्रेक्टर, रासायनिक खादों आदि के कारखानों की स्थापना हुई। इस प्रकार हरित क्रान्ति का औद्योगिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ा।
3. ग्रामीण आय सृजन (Rural Income Generation)—सरकार ने कृषि उपज से सम्बन्धित कीमत-समर्थन नीति (Price Support Policy) अपनाई। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी मात्रा में आय का सृजन हुआ।
4. आत्म-निर्भरता (Self-Sufficiency)—देश में खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता आई है। अब भारत आयात के स्थान पर गेहूँ निर्यात करने की क्षमता भी रखता है।
5. ग्रामीण जीवन-स्तर में सुधार (Improvement in Standard of Living)—हरित क्रान्ति के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय-स्तर में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप ग्रामीण जीवन-स्तर में सुधार हुआ।
6. कृषि का व्यवसायीकरण (Commercialisation of Agriculture)—हरित क्रान्ति के कारण कृषि जीवन-निर्वाह खेती न रहकर व्यापारिक खेती बन चुकी है।
7. दृष्टिकोण का पारवतन (Change in Outlook)—भारतीय किसान न शां्रता से कृषि को नई तकनीक को अपनाया है। इससे प्रतीत होता है कि भारतीय किसान नए विचारों और तकनीकों को अपनाने लगे हैं।

**हरित क्रान्ति के लाभ**

1. कृषि का विकास
2. औद्योगिक विकास
3. ग्रामीण आय सृजन
4. आत्म-निर्भरता
5. ग्रामीण जीवन-स्तर में सुधार
6. कृषि का व्यवसायीकरण
7. दृष्टिकोण में परिवर्तन

◆ 3.12.4. हरित क्रान्ति के दोष या बुरे प्रभाव या विपक्ष में तर्क (Shortcomings or Bad Effects of Green Revolution)

हरित क्रान्ति के मुख्य दोष या बुरे प्रभाव निम्नलिखित हैं :-

1. धनी किसानों को लाभ (Benefit to Rich Farmers)—इससे केवल धनी किसानों को ही लाभ हुआ। निर्धन इन लाभों से वंचित रह गए।
2. सीमित फसलें (Limited Crops)—हरित क्रान्ति के प्रभाव केवल गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का तथा तेल निकालने के बीजों, कुछ फसलों तक ही सीमित रहे। इसका व्यापारिक फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
3. अल्पकालीन प्रभाव (Short Term Effects)—हरित क्रान्ति, 1967-68 में एक धमाके के साथ आरम्भ की गई थी। यह अधिक समय तक स्थिर न रह सकी। इसके प्रभाव अल्पकालीन थे।

**हरित क्रान्ति के दोष या विपक्ष में तर्क**

1. धनी किसानों को लाभ
2. सीमित फसलें
3. अल्पकालीन प्रभाव
4. क्षेत्रीय असमानताएँ
5. काला बाजार
6. आय की असमानताएँ
7. भूमिहीन किसानों को हानि
8. लाल क्रान्ति



4. क्षेत्रीय असमानताएँ (Regional Inequalities)— हरित क्रान्ति क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। डॉ. वी. आर. वी. राव (Dr. V.R.K.V. Rao) के भी यही विचार थे। वास्तव में हरित क्रान्ति केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक ही सीमित रही।

5. काला बाजार (Black Marketing)— हरित क्रान्ति के कारण आधुनिक साधनों, जैसे—उन्नत किस्म बीज, खाद और यन्त्रों की माँग पूर्ति से बढ़ गई। परिणामस्वरूप किसानों को इन्हें चोर-बाजारी (Black Market) खरीदना पड़ा। फलतः बाजार में काला-बाजारी जैसी दूषित प्रवृत्तियों ने जन्म लिया।

6. आय की विषमताएँ (Income Disparities)— ग्रामीणों में आय की विषमताएँ बढ़ी हैं। जो किसान अधिक धनी थे, उन्हें इसे अपनाने से अधिक आय प्राप्त हुई, जबकि निर्धन वर्ग इसके लाभों से वंचित रहा है।

7. भूमिहीन किसानों को हानि (Loss to Landless Farmers)— भूमिहीन किसानों को हानि हुई क्योंकि बड़े फार्मों पर उन्नत तकनीकी लागू करने से मजदूरों की आवश्यकता कम हो गई। परिणामस्वरूप भूमिहीन कर्मचारी बेरोजगार हो गए।

8. लाल क्रान्ति (Red Revolution)— निर्धन किसानों के लिए यह लाल क्रान्ति (Red Revolution) है।  
निष्कर्ष—वास्तव में, हरित क्रान्ति तभी लाभदायक सिद्ध होगी जब इस क्रान्ति का लाभ सभी राज्यों, फसलों तथा सभी किसानों को मिल सकेगा।